न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः— ओम कसेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या —127 / 2013 (अपील)

1. अनवरखां आत्मज श्री मुस्तफा खां मृतक जरिये कायम मुकाम—
   1/1 हमीदुन्निसा बेवा अनवरखां
   1/2 शाकिर अली
   1/3 साबिर अली
   1/4 परवीन
   1/5 रानी
   1/6 रिजवाना पिसरान स्व0 अनवरखां जाति मुसलमान निवासीगण कोटा
2. इकबाल खां आत्मज श्री मुस्तफा खां निवासी कोटा
3. मोहम्मद उमर
4. मोहम्मद असद
5. जैनब
6. फातमा
7. आमना
8. मुन्नी बेगम पिसरान वली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासीगण कोटा
9. शमीमुन्निसां पुत्री मुस्तफा खां निवासी कोटा
10. जहांगीर खां
11. तन्जीम बाई पिसरान अब्दुल कय्यूम खां निवासीगण कोटा
12. रउफ खां
13. नन्नें मियां
14. प्यारे मियां
15. अब्दुल गफूर खां
16. शाहीन अख्तर
17. परवीन पिसरान नूर खां निवासीगण कोटा
18. फारूख अली खां
19. लियाकत अली
20. शौकत अली खां
21. शहादत अली
22. अतीका बाई
23. चम्पो बाई पिसरान इफतेखार अली खां निवासीगण कोटा
24. नूर बानों बेवा अमानुल्ला खां
25. शफी उल्ला खां
26. शहनाज परवीन
27. फिरोजा खानम पिसरान अमानुल्ला खां निवासीगण कोटा
28. आसमा पुत्री पारेखां निवासी कोटा
29. शबनम खानम पुत्री अमानुल्ला खां निवासीगण कोटा

——अपीलान्ट्स

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा कोटा (राज0)
2. राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ जयपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3. जिला वक्फ कमेटी कोटा जरिये सचिव (राज0)

----रेस्पोडेन्ट.

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार लाडपुरा इंतकाल संख्या 46 दिनांक 08.07.1994 ग्राम रामचन्द्रपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा

उपस्थिति

1. श्री सईद अहमद खां अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री अब्दुल सलाम खान, रेस्पोडेन्ट नं0 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक– 30.10.019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा राजस्थान राज–पत्र दिनांक 23.01.65 व आदेश जिला कलेक्टर भू–अ0/रथा./2936–41 दिनांक 4.1.93 एवं आदेश तहसील क्रमांक/706–7 दिनांक 19.2.94 एवं आदेश एसडीओ कोटा क्रमांक/595 दिनांक 5.07.94, की अनुपालना में वाके ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा कोटा में स्थित आराजी ख0नं0 121 की 0.32 हे0 भूमि राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ जयपुर के नाम दर्ज करने हेतु नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 8.7.1994 स्वीकृत किया गया ।

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 24.06.2013 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट के दादा जी मुर्तजाखान जिनके खाते व कब्जे की आराजी ख0नं0 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, कुल 10 किता की 2.80 हे0 भूमि वाके ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा कोटा में स्थित थी तथा एक अन्य आराजी ख0नं0 121 की 0.32 हे0 भूमि अलग से मूर्तजाखान जी के खाते कब्जे में दर्ज हुई । जिसका पूर्व नं0 42 था, दादा मूर्तजाखान जी के मरने के बाद उक्त हाल ख0नं0 121 का एक इन्तकाल अपीलान्टस के नाम खुला जिसका इन्तकाल नं0 44 दिनांक 15.6.94 को खोला गया उसमें समस्त अपीलान्ट्स के नाम खाते दर्ज करने के आदेश हुये । सहवन से जब वक्फ के नाम दर्ज की गई कुल 10 किता उक्त नम्बरान के साथ ख0नं0 121 भी शामिल कर दी गई जबकि इसका नम्बर अलग से था, यह वक्फ में गलत दर्ज हुआ है और इसी को आधार मानते हुये इन्तकाल नं0 46 वक्फ के नाम उक्त दिनांक को चढादी गई और यह इन्तकाल 20 दिन बाद ही बिना अपीलान्टस को सूचना दिये ही बिना अपीलान्ट की इजाजत के खोला गया है

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

जो कानून के खिलाफ है जो काबिल निरस्तनीय है । आदेश अपील अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है आदेश जैर अपील की सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 28.5.2013 को पटवारी हल्का के बताने पर हुई उक्त प्रकार जानकारी होते ही दिनांक 29.5.2013 को नकल प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 7.6.2013 को नकल प्राप्त कर प्रथम जानकारी से अपील अवधि मध्य पेश है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील इन्तकाल सं0 46 निरस्त किया जावें तथा उक्त आराजी अपीलानट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । वकील अपीलान्ट व वकील रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के दादा जी मुर्तजाखान जिनके खाते व कब्जे की आराजी ख0नं0 114,115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, कुल 10 किता की 2.80 हे0 भूमि वाके ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा कोटा में स्थित थी तथा एक अन्य आराजी ख0नं0 121 की 0.32 हे0 भूमि अलग से मूर्तजाखान जी के खाते कब्जे में दर्ज हुई । जिसका पूर्व नं0 42 था, दादा मूर्तजाखान जी के मरने के बाद उक्त हाल ख0नं0 121 का एक इन्तकाल अपीलान्टस के नाम खुला जिसका इन्तकाल नं0 44 दिनांक 15.6.94 को खोला गया उसमें समस्त अपीलान्टस के नाम खाते दर्ज करने के आदेश हुये । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये बिना अपीलान्ट के नाम दर्ज भूमि ख0नं0 121 रकबा 0.32 हे0 नामा0 सं0 46 से वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज कर दी गई जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामा0 सं0 46 निरस्त फरमाया जावें ।

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गजट नोटिफिकेशन में दर्ज वक्फ सम्पत्तियां जो अन्य दिगर व्यक्तियों के खाते में दर्ज थी, उनमें ग्राम रामचन्द्रपुरा के ख0नं0 42 भूमि गजट नोटिफिकेशन 1965 के कम संख्या 181 पर दर्ज है । उक्त आराजी ख0नं0 42 का रकबा वक्फ सर्वे रिपोर्ट एवं गडार में दर्ज रकबा शामिल नहीं होने से बाद में जिसका नया खसरा नं0 121 बना था का राज्य सरकार के आदेश कमांक प 10 (4)राज/7/देव/87/दिनांक 19.12.92 की पालना में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा राजस्व रिकार्ड के अनुसार ख0नं0 121 रकबा 0.32 हे0 का इन्तकाल जो पूर्व में अपीलान्ट के पूर्वजों के नाम खोला गया था को निरस्त करते हुये राजस्थन वक्फ बोर्ड जयपुर के नाम पर खोला गया जो सही है ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.7.94 के विरूद्व यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24.06.2013 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है । जिसमें विलम्ब के लिए कोई युक्युिक्त कारण भी अंकित नहीं किया है किन्तु वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के खण्डन में कोई न्यायिक दृष्टान्त या

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

उद्वरण पेश नहीं किया है जिससे अपील मियाद बाहर मानी जावें । ऐसी स्थिति में हम अपील को गुणावगुण के आधार पर सुना जाकर निर्णय पारित करना न्यायहित में उचित समझते है । अतः अपील पेश करने में हुआ विलम्ब, जानकारी के अभाव में हुआ है, अपीलाधीन नामान्तकरण की प्रथम जानकारी 28.05.2013 से अपील पेश करने की दिनांक 24.06.2013 तक का समय क्षम्य योग्य होने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में कन्डोन करते हुए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

7. अपीलांट द्वारा अपील में ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा के ख0नं0 121 रकबा 0.32 हे0 जो अपीलान्ट के नाम दर्ज थी, को गजट नोटिफिकेशन 1965 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 10 (4)राज/7/देव/87/दिनांक 19.12.92 की पालना में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा राजस्व रिकार्ड के अनुसार ख0नं0 121 रकबा 0.32 हे0 का इन्तकाल जो पूर्व में अपीलान्ट के पूर्वजों के नाम खोला गया था को निरस्त करते हुये राजस्थान वक्फ बोर्ड जयपुर के नाम पर खोला गया , अपीलाधीन आदेश के खण्डन में वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या उद्वरण पेश नहीं किया है । वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस अवगत कराया कि प्रकरण में दौराने अपील रेस्पो0 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 एवं धारा 151 सीपीसी के साथ दस्तावेज क्रमशः वक्फ गजट नोटिफिकेशन 1965, राजस्व सचिव के आदेश दिनांक 19.12.1992 की फोटो प्रति तथा कार्यालय एस.डी.ओ. के आदेश दिनांक 13.1.1994 की फोटो प्रति पेश कर रेकार्ड पर लेने हेतु प्रस्तुत किया था किन्तु इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत उक्त दस्तावेज प्रमाणित प्रति नहीं होकर मात्र छाया प्रति होने से उन्हें इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 17.7.2019 से प्रार्थना पत्र खारिज कर रेकार्ड पर नहीं लिया गया, किन्तु दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा हमारा ध्यान उक्त दस्तावेजों की ओर आकृष्ट कराया, न्यायहित में उक्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिससे तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपीलाधीन नामा0 सं0 46 आदेश दिनांक 8.7.94 से ग्राम रामचन्द्रपुरा तह0 लाडपुरा के आराजी ख0नं0 121 रकबा 0.32 हे0 भूमि राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ जयपुर के नाम की गई है उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 8.7.1994 नामा0 सं0 46 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

8. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 8.07.1994 नामा0 सं0 46 यथावत रखा जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर कोटा

Scanned by CamScanner